क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मे0 स्टील अॅथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा दुर्ग एवं राजनांदगांव क्षेत्र अंतर्गत महामाया– दुल्की माईनिंग प्रोजेक्ट के राजनांदगांव जिले के अन्तर्गत आने वाले लीज क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में दिनांक 17.02.2011 को आयोजित लोक सुनवाई की कार्यवाही।

भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मे0 स्टील अॅथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा दुर्ग एवं राजनांदगांव क्षेत्र अंतर्गत महामाया– दुल्की माईनिंग प्रोजेक्ट के राजनांदगांव जिले के अन्तर्गत आने वाले लीज क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई की तिथि 17.02.2011 निर्धारित कर समाचार पत्रों दैनिक नवभारत, रायपुर दिनांक 14.01.2011 एवं टाईम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली दिनांक 15.01.2011 के प्रकाशन में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। ई.आई.ए.अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय, राजनांदगांव, जिला पंचायत कार्यालय, राजनांदगांव, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव, ग्राम पंचायत सेरपार जिला राजनांदगांव, ग्राम पंचायत कोसमी, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत खड़गांव, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत बोरिया मोकासा, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत खरदी, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत दोरबा, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत मुरारगोटा, जिला–राजनांदगांव, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, ई/3240, अरेरा कालोनी, भोपाल, डायरेक्टर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय 1–तिलक नगर, शिव मंदिर चौक, मेन रोड अवन्ती विहार रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई में रखवाई गई थीं। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 17.02.2011 दिन गुरूवार दोपहर 12:30 बजे श्री एस.के. पवार, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–राजनांदगांव की अध्यक्षता में शासकीय प्राथमिक शाला भवन ग्राम–बोरिया मोकासा तहसील मानपुर, जिला–राजनांदगांव में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई। लोक सुनवाई के दौरान श्री एम.के. रघुवंशी, एस.डी.एम.मानपुर, जिला–राजनांदगांव उपस्थित थे।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव के निर्देशानुसार लोक सुनवाई की कार्यवाही शुरू की गई। सर्वप्रथम श्री ए0 सी0 मालू , क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में

लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया। साथ ही प्रस्तावित उद्योग की उत्पादन क्षमता सहित उद्योग के संबंध में सामान्य जानकारी दी गई। इसके पश्चात् उद्योग प्रतिनिधि श्री पार्थ झा, ए.जी.एम., एम.व्ही.टी.सी.(माइन्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर), दल्ली राजहरा, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के संबंध में जानकारी के साथ ही प्रस्तावित उद्योग के संबंध में तकनीकी विवरण, जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन एवं वृक्षारोपण आदि तथा प्रस्तावित उद्योग स्थल के संबंध में वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति से जन सामान्य को अवगत कराया गया।

तत्पश्चात अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित उद्योग क्षमता विस्तार के संबंध में पर्यावरणीय सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से निम्नलिखित लोगों द्वारा प्रस्तावित उद्योग की स्थापना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां मौखिक रूप से प्रस्तुत की गई :–

1. श्रीमती सईदा बेगम, जनपद सदस्य, ग्राम–खड़गांव जिला–राजनांदगांव।

- सबसे ज्यादा दुल्की गांव के लोग प्रभावित होंगे।
- गांव और प्रभावित खेत में जो लाल पानी आयेगा, उसके लिये मुआवजा देना चाहिए।
- बच्चों को नौकरी दी जाये।
- यदि वृक्ष कांटे जाते हैं तो पर्यावरण सुरक्षा के लिये पुनः पेड़ लगाये जाये।
- बाहर के लोगों के बजाय हमारे गांव के लोगों को नौकरी दी जाये।
- गांव में स्कूल खोला जाये।
- हास्पिटल खोला जाना चाहिए।
- यहां की पढ़ाई पीछे है। बच्चों विशेषकर लड़कियों के लिये स्कूल खोला जाये।

2. श्री तुलाराम गावड़ी, पूर्व सरपंच, ग्राम–खड़गांव, जिला–राजनांदगांव।

- मजदूर साथियों के हक और मजदूरी न मारी जाये।
- हमारे स्थानीय क्षेत्र के लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दी जाये।
- फैक्ट्री लगने से हमारे क्षेत्र में प्रदूषण होगा, जिसे सुधारा जाये।
- गोंड़ जाति के लोग यहां अधिक निवास करते हैं। अतः उनका सही व्यवस्थापन किया जाये। इनके शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

3. श्री टोमन लाल साहू, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत खड़गांव, जिला– राजनांदगांव।

- इस क्षेत्र में छ.ग. राज्य बनने के बाद पहली बार डोंगरबोर आयरन ओर माइन्स के रूप में आया। इसके खुलने से मजदूर भाई काफी खुश हैं। अतः इनके व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाये।
- शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। शिक्षा की व्यवस्था की जाये। यहां अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खोला जाये।
- गरीब बच्चों को पठन–पाठन की सामग्री निःशुल्क दी जाये।

- स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाये। अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था की जाये।

4. श्री देवारो सिंह कमरू, सरपंच ग्राम पंचायत खरदी, जिला–राजनांदगांव।

- बी.एस.पी. द्वारा प्लांट लगाये जाने के बाद हमारे इस क्षेत्र के प्रति सही व्यवस्था की जाये।
- जमीन जायदाद की रख रखाव कैसे होगा।
- जमीन में जो लाल पानी आएगी उसके लिये बी.एस.पी. प्रबंध द्वारा क्या प्रोजेक्ट तैयार किया गया है ? ढुलकी नाले में गंदा पानी आता है।
- बी.एस.पी. प्रबंधन द्वारा अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए।
- प्रभावितों को नौकरी दी जानी चाहिए।

5. श्री मनी राम ठाकुर ग्राम–खड़गांव, जिला–राजनांदगांव।

- पूर्व में माइन्स के कारण क्षेत्र में पानी पीने योग्य नहीं रहता है। दुल्की माइन्स से भी नाले का पानी प्रदूषित होने से पानी पीने योग्य नहीं रहेगा।
- माइन्स से प्रभावित सभी को मुआवजा देना चाहिए।

6. श्री कुमार साय पुरामे, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत दोरबा, जिला–राजनांदगांव।

- लिखित में निवेदन किया गया। ब्लास्टिंग के दौरान अनेक वर्षो से रह रहे ग्रामीणजन दुल्की खदान से प्रभावित होंगे। लाल मिट्टी आने से खेती बाड़ी में नुकसान हो जायेगा।
- वनोपज हर्रा, बहेरा, गोंद दवाई के काम में आती है जो खदान खुलने से मिलना बंद हो जायेगा।
- जन–जीवन अस्त–व्यस्त न हो ऐसी व्यवस्था बी.एस.पी. प्रबंधन द्वारा की जाये।
- मशीन लगने से कई ग्रामीण बेरोजगार हो जायेंगे। अतः योग्यता के आधार पर नौकरी देवें।
- दुल्की माइन्स का संचालन बी.एस.पी. द्वारा सही किया जाये, जिससे आसपास के ग्रामीण ज्यादा प्रभावित न हो।

7. श्री राम सिंह कुमरे, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत डोकला, जिला–राजनांदगांव।

- पहाड़ी में माइन्स होने से पत्थर गांव तक आएगा जिससे उत्खनन अधिक होगा।
- यदि माइन्स चालू होता है तो प्रभावित को मुआवजा दी जाये।
- हम वनांचल में बसते हैं, माइन्स चालू होने से हमारा विकास होना चाहिएं
- सुचारू रूप से सहकारिता की भावना से काम चले।

8. श्री पुष्पक कुमार मण्डावी, ग्राम–खड़गांव, जिला–राजनांदगांव।

- ब्लास्टिंग के दौरान वायु प्रदूषण होगा, धूल उड़ेगी, जिसके समुचित विकास की व्यवस्था की जाये।

9. श्री दीपक मित्तल, दैनिक नवभारत, ग्राम–खड़गांव, जिला–राजनांदगांव।

- पर्यावरण मानक का कितना होना चाहिए।
- क्षेत्रीय विभाग से क्या एन.ओ.सी. मिली है ?

- उत्खनन का ओव्हर बर्डन की क्या योजना है ?
- ओव्हर बर्डन से उपजाउ भूमि को नुकसान होता है, इसकी भरपाई कौन करेगा ?
- ग्राम–हितकसा की सैकड़ों एकड़ भूमि बंजर हो गई हैं। बी.एस.पी. प्रबंधन इसकी क्या व्यवस्था की है ?
- स्थानीय लोगों को क्या लाभ होगा ?

10. श्री ईश्वर तुनारकर, ग्राम–कोरवा, जिला–राजनांदगांव।

- ग्राम–मोहला/मानपुर काफी पिछड़ा हुआ है जिसका विकास होना चाहिए।
- स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिया जाना चाहिए। सही मजदूरी मिलनी चाहिए।

11. श्री मनोहर साहू, पिता श्री महेन्द्र साहू, ग्राम–कोसमी, जिला–राजनांदगांव।

- ओपन भर्ती या स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।
- शिक्षा के लिये आई.टी.आई. खोला जाये।
- उच्च शिक्षा दिया जाये।

12. श्री त्रिलोचन दास साहू, ग्राम–कुसमी, जिला–राजनांदगांव।

- हमारा अंचल पिछड़ा हुआ है। अतः दुल्की क्षेत्र से हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए।
- जमीन के नुकसान का मुआवजा दिया जाये।

13. श्री चंद्रभानू सिन्हा, ग्राम–गोटारोला, जिला–राजनांदगांव।

- पढ़ाई में क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। अतः स्कूल खोला जाना चाहिएं
- जो जैसी पढ़ाई करना चाहता है वैसी शिक्षा मुहैया करवाई जाये।

14. श्री राकेश कुमार, ग्राम–कोरवा, जिला–राजनांदगांव।

- माइन्स चालू हो रहा है तो खुशी है।
- शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिये योजना बनाई जाये।

15. श्री जय सिंह कुरैशी, ग्राम–कट्टापार, जिला–राजनांदगांव।

- सड़क तक आने जाने की व्यवस्था सही की जाये।

16. श्री कुमार साय ओसारे, ग्राम–कामकासुर, जिला–राजनांदगांव।

- गांव में बिजली की व्यवस्था की जाये।
- गांव में बच्चों के पढ़ने सुविधा मुहैया कराई जाये।

लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव, विचार एवं आपत्तियों के परिपेक्ष्य में उद्योग का पक्ष रखने हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–राजनांदगांव द्वारा उद्योग प्रबंधन को निर्देशित किया गया। उद्योग के प्रतिनिधि श्री एस.के. शाह, जी.एम., माइन्स, दल्ली राजहरा द्वारा जन सुनवाई

के दौरान प्राप्त सुझाव, विचार व आपत्तियों का उद्योग के तरफ से पक्ष रखा गया/समाधान किया गया जो कि निम्नानुसार है :–

- ❖ स्टील उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये नई माइन्स खोली जा रही है।
- ❖ माइन्स के खुलने से किसी को नुकसान नहीं होगा।
- ❖ उद्योग को माइनिंग के संबंध में विगत 60 वर्षो का अनुभव है। अतः माइनिंग के दौरान प्रदूषण या अन्य कोई नुकसान न हो, इस बाबत् ध्यान रखा जायेगा।
- ❖ दुल्की माइन्स में उत्पादन से दूषित जल नाले में नहीं छोड़ा जायेगा तथा जो थोड़ा बहुत पानी आयेगा भी उसे चेकडेम के माध्यम से आगे बढ़ने से रोका जायेगां
- ❖ बी.एस.पी. के द्वारा संचालित होने के कारण माइन्स में भविष्य में उत्पादन कार्य बन्द नहीं होगा।
- ❖ प्रदूषण नियंत्रण हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग होगा।
- ❖ वर्तमान में केवल 5 हे0 क्षेत्र में ही माइनिंग कार्य किया जायेगा।
- ❖ प्रदूषण की स्थिति मुख्यतः क्रशिंग के दौरान उत्पन्न होती है। यहां पर क्रशिंग न किया जाकर दल्ली राजहरा में किया जायेगा। जिसके कारण यहां पर प्रदूषण नहीं होगा।
- ❖ आंतरिक सड़कों की समय समय पर सफाई करके प्रदूषण की स्थिति निर्मित नहीं होगी।
- ❖ स्वास्थ्य की दृष्टि से केम्प एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों से बी.एस.पी. की योजना के अनुसार 20–20 बच्चों को भिलाई आदि क्षेत्रों में रहने, खाने आदि की व्यवस्था के साथ शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- ❖ सी.एस.आर.के. तहत अधिक क्षमतायुक्त चूल्हों को ग्रामीणों को उपलब्ध करवाया जायेगा ताकि ईंधन की खपत कम हो।
- ❖ किसी का विस्थापन नहीं किया जायेगा।
- ❖ हितकसा डेम से जल प्रदूषण के संबंध में उल्लेखित है कि वर्तमान में चेकडेम बनाकर लाल पानी खेतों तक जाने से रोका जाता है। पूर्व में पूरा पानी रि–साईकिल किया जा रहा था, किन्तु ग्रामीणों के अनुरोध पर पुनः पानी दिया जा रहा है।
- ❖ प्रभावितों को अब तक लगभग 2.5 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि दिया जा चुका है।
- ❖ गांव में सौर उर्जा के माध्यम से स्ट्रीट लाईट जलाने की व्यवस्था की दिशा में कार्य किया जाये।
- ❖ उद्योग द्वारा सिर्फ लाभ की दृष्टि से ही कार्य न करके सामुदायिक विकास हेतु कार्य किया जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान दिनांक 17.02.2011 को लिखित में 5 आवेदन प्राप्त हुए। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	आवेदनकर्ता का नाम	आवेदन का विषय
1	श्री जगदेव राम, महेश कुमार, सरजूराम एवं अन्य	दुल्की, पल्लेभाड़ी माइन्स में रोजगार दिलाने बाबत्।
2	श्रीमती मिथला बाई, सरपंच ग्राम–दोरबा, श्री मंगुन सिंग कोला पटेल, वातुराम पंच, रामलाल पटेल एवं अन्य	भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत प्रारंभ की जाने वाली ढुलकी लौह अयस्क खदान बाबत्।
3	श्री के.एस. उसारे, सरजूराम, मंगुन सिंग, रामलाल एवं अन्य	ग्राम कमकासुर ढुलकी में विद्युत लाईन विस्तार करने बाबत्।
4	श्री के.एस. उसारे, रामलाल, दुखूराम, गैंदलाल एवं अन्य	पूर्व माध्य0 शाला कमकासुर में शिक्षक व्यवस्था करने बाबत्।
5	श्री प्रेमलाल मण्डावी, श्याम कुमार लाटिया, रामप्रसाद तुलाबी एवं अन्य	डोंगरबोर माइन्स का कार्य बन्द है उसे शुरू करवाने बाबत्।

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्रामीणों में से कुल 195 लोगों से हस्ताक्षर लिये गये। लोक सुनवाई के अंत में श्री ए0 सी0 मालू , क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण उपस्थित जनों को पढ़कर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, श्री एस.के. पवार द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

(ए0 सी0 मालू)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

(श्री एस.के. पवार)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–राजनांदगांव